फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :- 216/2024

कालू खान **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता रामरतन मीणा हाजिर। अप्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जवाब प्राप्त हो चुका है। दावा पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 30.04.224 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	
30.04.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वादी ने यह वाद बाबत् नाम दुरस्ती इन्द्राज का पेश किया है। वादी विवादित भूमि खाता संख्या नया 546 पुराना 486 के खसरा नंबर 2678, 2679, 2680, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687 कुल किता 8 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम चाकसू पूर्व तहसील चाकसू के रिकोर्डेड काबिज काश्तकार होना बताया है। रिकार्ड में वादी का नाम गफूर खॉ पुत्र पीर खॉ दर्ज होना बताया है जबकि उनके वादी का वास्तविक नाम कालू खॉ पुत्र पीर खॉ दर्ज होना बताया है। प्रार्थी/वादीगणों के इस आशय का शपथ पत्र पेश किया है कि प्रतिवादी सरकार ने जवाब ने जाहिर किया है कि विवादित भूमि मे वादी को नाम विक्रय पत्र से प्राप्त हुई है। उसके उपरान्त राजस्व रिकार्ड में गफूर खॉ पुत्र पीर खॉ के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह सिद्ध नही किया है कि कूल खॉ पुत्र पीर खॉ नाम का कोई अन्य व्यक्ति बतौर खातेदार उक्त भूमि पर काबिज है। अतः वादी के शपथ पत्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि गफूल खॉ पुत्र पीर खॉ व कालू खॉ पुत्र पीर रखॉ एक ही व्यक्ति है। अतः वादी का नाम विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में कालू खॉ पुत्र पीर खॉ दर्ज किया जावें। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	